

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक:-प.7(9)वित्त/कर/2017

जयपुर, दिनांक: 03.04.2017

नोटिस

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के उपायुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रोवीजनल/अस्थाई आधार पर जारी की जा रही है। यदि किसी अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/आपत्ति आदि प्रस्तुत किए जाने हो तो दिनांक 17.4.2017 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा:-


क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	वर्ग	आवृत्त वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री पोकर राम जाखड़	29.06.57		2012-2013	
2.	श्री गिरधर गोपाल सिंघानिया	01.01.60		2013-2014	
3.	श्री अविनाश चन्द्र त्रिवेदी	01.04.62		2013-2014	
4.	श्री चन्द्रसिंह दुग्गड़	15.09.61		2014-2015	
5.	श्री हेमन्त जैन	25.08.65		2014-2015	
6.	श्री पृथ्वीराज मीणा-1	05.08.68	अ0ज0जा0	2015-2016	
7.	श्री चेताराम जाटव	21.07.59	अ0जा0	2015-2016	
8.	श्री ए0आर0 सोलंकी	05.07.62	अ0जा0	2015-2016	
9.	श्री केतन शर्मा	02.08.62		2015-2016	
10.	श्रीमती अनीता माथुर	01.01.65		2015-2016	
11.	श्रीमती अनीता खत्री	13.07.68		2015-2016	
12.	श्री गंगा सहाय मीणा	08.12.62	अ0ज0जा0	2015-2016	
13.	श्री हीरालाल ढाका	16.05.63		2015-2016	
14.	श्री रमेशचन्द लखोटिया	06.11.65		2015-2016	
15.	श्री शिव दयाल मीणा	30.12.63	अ0ज0जा0	01-04-16	
16.	श्री हवाई सिंह	15.06.66		01-04-16	
17.	श्री वीरेन्द्रकुमार शर्मा	05.01.59		01-04-16	
18.	श्री राजेश चन्द जैन	25.01.61		01-04-16	
19.	श्री पन्नालाल मेघवाल	21.01.59	अ0जा0	01-04-16	
20.	श्री चन्द्रप्रकाश मीणा	20.01.66	अ0ज0जा0	01-04-16	
21.	श्री राजकुमार	04.03.64		01-04-16	
22.	श्री सतीशकुमार उपाध्याय	05.08.64		01-04-16	
23.	श्रीमती सुमन सिंह	28.08.62		01-04-16	
24.	श्री गोकुल राम	01.04.59		01-04-16	
25.	श्री मोहन लाल चौधरी	15.09.59		01-04-16	

8/1

26.	श्री अंजनी कुमार शर्मा	18.08.66		01-04-16	
27.	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	14.03.63		01-04-16	


यह वरिष्ठता माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी0बी0रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के अधधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव